निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1940 (श0)

संख्या 29 पटना, बुधवार,

18 जुलाई 2018 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-16**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**17-17**
पूरक	---
पूरक-क	**18-21**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
6 जुलाई 2018

सं0 6/गो0-34-03/2016(खंड–1)–1953–वाणिज्य–कर विभाग के वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरण/प्रोन्नति के उपरान्त उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम/पद का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार वा०-कर उपायुक्त	वैशाली	वा०–कर उपायुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई बिहार, पटना	वा०–कर संयुक्त आयुक्त (टी0आर0यु0) बिहार, पटना
2.	श्री प्रकाश चन्द्र झा वा०–कर उपायुक्त	भागलपुर	वा०–कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना	वा०–कर संयुक्त आयुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना
3.	श्री अमिताभ मिश्र वा०–कर उपायुक्त	मुंगेर	वा०-कर उपायुक्त सम्प्रति उप सचिव, वित्त विभाग	वा0–कर संयुक्त आयुक्त सम्प्रति वित्त विभाग में यथावत रखे जाने का प्रस्ताव है।
4.	श्री प्रणव बोध रूंगटा वा०–कर उपायुक्त	भागलपुर	वा०-कर उपायुक्त (प्रभारी) मध्य अंचल, पटना	वा0–कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी प्रमण्डल
5.	श्री आनन्द झा वा०–कर उपायुक्त	मधुबनी	वा०-कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना	वा०–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) सारण प्रमंडल, छपरा
6.	श्री गुप्तेष्वर प्रसाद वा0-कर संयुक्त आयुक्त	बक्सर	वा०-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना	वा०-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
7.	श्री जीवन अग्रवाल वा0-कर संयुक्त आयुक्त	दरभंगा	वा०-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) सारण प्रमंडल, छपरा	वा०-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना
8.	श्री बिनोद पाठक वा0-कर संयुक्त आयुक्त	भोजपुर	वा०-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) भागलपुर प्रमंडल	वा0–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) पूर्णिया का अतिरिक्त प्रभार
9.	श्री विश्वनाथ महतो वा0-कर संयुक्त आयुक्त	समस्तीपुर	वा०-कर संयुक्त आयुक्त समेकित जॉच चौकी, रजौली	वा0–कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, बिहार, पटना।
10.	डॉ० श्यामाकान्त झा, वा0-कर संयुक्त आयुक्त	सहरसा	वा०-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमण्डल	वा0–कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार

2. क्रम संख्या–01 से 05 तक अंकित पदाधिकारी को नवप्रोन्नति के उपरांत पदस्थापित किया जाता है।

3. क्रम संख्या–7 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

4. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिनों के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

————————

29 जून 2018

सं0 6/गो0–34–05/2016(खण्ड–1) 1857–वाणिज्य–कर विभाग के वाणिज्य–कर पदाधिकारी कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री ललीत कुमार	पटना	वा०-कर पदाधिकारी अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल	वा0–कर पदाधिकारी, पटना सिटी, पश्चिमी अंचल
2.	श्री विवेक	सारण	वा०-कर पदाधिकारी पाटलीपुत्रा अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना सिटी, पूर्वी अंचल
3.	कुमारी रश्मि	पश्चिमी चम्पारण	वा०-कर पदाधिकारी पटना पश्चिमी अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना दक्षिणी अंचल
4.	रेणु कुमारी	पटना	वा०-कर पदाधिकारी गॉधी मैदान अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना मध्य अंचल
5.	निवेदिता	पटना	वा०-कर पदाधिकारी पटना दक्षिणी अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना विशेष अंचल
6.	स्वर्णलता किरण	बक्सर	वा०-कर पदाधिकारी पटना दक्षिणी अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना पश्चिमी अंचल
7.	प्रतिमा कुमारी	पटना	वा०-कर पदाधिकारी पटना कदमकुआं अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना पश्चिमी अंचल
8.	निहारिका छवि	आरा	वा०-कर पदाधिकारी दानापुर अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पटना मध्य अंचल अंचल
9.	मो0 शब्बीर	शिवहर	वा०-कर पदाधिकारी औरंगाबाद अंचल	वा०-कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
10.	इन्दु कुमारी	रोहतास	वा०-कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	वा०-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
11.	हेमलता कुमारी	पटना	वा०-कर पदाधिकारी हाजीपुर अंचल	वा०-कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
12.	श्री सुशील कुमार सुमन	नालंदा	वा०-कर पदाधिकारी फारबिसगंज अंचल	वा०-कर पदाधिकारी औरंगाबाद अंचल
13.	शशिबाला	नालंदा	वा०-कर पदाधिकारी समस्तीपुर अंचल	वा०-कर पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल

14.	अंजु कुमारी	पटना	वा०-कर पदाधिकारी पूर्णिया अंचल	वा०-कर पदाधिकारी गया अंचल
15.	मिनी	बॉका	वा०-कर पदाधिकारी लखीसराय अंचल	वा०-कर पदाधिकारी पाटलीपुत्रा अंचल
16.	श्री गंगा प्रसाद	समस्तीपुर	वा०-कर पदाधिकारी गोपालगंज अंचल	वा०-कर पदाधिकारी सिवान अंचल
17.	श्री प्रेमचन्द्र भारती	पटना	वा०-कर पदाधिकारी जमुई अंचल	वा०-कर पदाधिकारी अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल
18.	विक्की कुमार विश्वकर्मा	गया	वा०-कर पदाधिकारी मुंगेर अंचल	वा०-कर पदाधिकारी जमुई अंचल
19.	श्री यदुवंश	लखीसराय	वा०-कर पदाधिकारी समेकित जॉच चौंकी की कर्मनाशा	वा०-कर पदाधिकारी पटना दक्षिणी अंचल
20.	श्री अभय कुमार	गया	वा०-कर पदाधिकारी समेकित जॉच चौंकी कर्मनाशा	वा०-कर पदाधिकारी जहानाबाद अंचल

2. क्रम संख्या–16 एवं 17 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

————————

29 जून 2018

सं0 6/गो0–34–05/2016 (खण्ड–1) 1856–वाणिज्य–कर विभाग के सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	**पदाधिकारी का नाम**	**गृह जिला**	**वर्त्तमान पदस्थापन**	**पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम**
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश कुमार दास	वैशाली	वा०-कर पदाधिकारी भागलपुर अंचल	वा0–कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा
2.	श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय	सारण	वा०-कर पदाधिकारी (अंकेक्षण) पूर्वी प्रमंडल, पटना	वा0–कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल पटना
3.	श्री विकाश कुमार पाण्डेय	कटिहार	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग	वा0–कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग के पद पर यथावत।
4.	श्री राजीव रंजन प्रसाद	नालंदा	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, अरवल	वा०-कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, अरवल के पद पर यथावत।
5.	श्री मनीष कुमार बिहारी	मोतिहारी	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, निर्मली	वा०-कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, निर्मली के पद पर यथावत।

6.	श्री मजीद अहमद	पूर्वी चम्पारण	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशनगंज	वा०-कर सहायक आयुक्त सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशनगंज के पद पर यथावत।
7.	श्री आमीर नैय्यर	पश्चिमी चम्पारण	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर यथावत।
8.	श्रीमती रीता सिंह	मुंगेर	वा०-कर पदाधिकारी सम्प्रति सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर	वा०-कर सहायक आयुक्त सम्प्रति सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर यथावत।
9.	श्री प्रभाकर सिंह	मधुबनी	वा0—कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा	वा०-कर सहायक आयुक्त मुख्यालय पटना।
10.	श्री मनीन्द्र कुमार	हजारीबाग	वा0—कर सहायक आयुक्त, विशेष अंचल, पटना	वा0—कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर, पूर्वी अंचल
11.	श्री रविन्द्र कुमार	पटना	वा0—कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल	वा0—कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
12.	श्री राजेश कुमार सिन्हा	पटना	वा0—कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरों, भागलपुर, प्रमंडल, भागलपुर	वा०—कर सहायक आयुक्त (टी0आर0यु0) मुख्यालय, पटना
13.	श्री अनील कुमार सिंह विघार्थी	रोहतास	वा0—कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल	वा०—कर सहायक आयुक्त (टी0आर0यु0) मुख्यालय, पटना
14.	श्री नेरश कुमार	गया	वा0—कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल	वा0—कर सहायक आयुक्त, औरंगाबाद अंचल

2. क्रम संख्या—01 से 08 तक अंकित पदाधिकारियों को नवप्रोन्नति के उपरांत प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. क्रम संख्या—09, 12, 13 एवं 14 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

4. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानान्तरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप—सचिव।

———————

29 जून 2018

सं0 6/गो0—34—05/2016 (खण्ड—1) 1855—वाणिज्य—कर विभाग के वाणिज्य—कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1.	मो० जाकीर अली अंसारी	शेखपुरा	वा०-कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	वा०—कर उपायुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई बिहार, पटना

2.	श्री संजीत कुमार	जमुई	वा०-कर सहायक आयुक्त अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल	वा०—कर उपायुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई बिहार, पटना
3.	श्री विनय कुमार	पटना	वा०-कर सहायक आयुक्त गांधी मैदान अंचल, पटना	वा०-कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना
4.	सुश्री कंचनबाला	पटना	वा०-कर सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	वा०-कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना
5.	श्री कार्तिक कुमार सिंह	पटना	वा०-कर सहायक आयुक्त पाटलीपुत्र अंचल, पटना	वा०-कर उपायुक्त (प्रभारी) मुजफ्फरपुर, पश्चिमी अंचल
6.	श्री सुनील कुमार	न्वादा	वा0—कर उपायुक्त अंकेक्षण सारण	वा०-कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना
7.	श्री विश्वनाथ गुप्ता	मुजफ्फरपुर	वा0—कर उपायुक्त—सह—अपर मिशन निदेशक, वित, राज्य स्वास्थ्य समिति	वा0—कर उपायुक्त टी0आर0यू0, मुख्यालय, पटना
8.	श्री किशोर कुमार सिन्हा	पटना	वा०-कर उपायुक्त प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बिहार, पटना	वा0—कर उपायुक्त—सह— अपर मिशन निदेशक, वित, राज्य स्वास्थ्य समिति के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा सुपुर्द
9.	श्री विश्वकान्त तिवारी	कैमूर	वा०-कर उपायुक्त मुख्यालय, पटना	नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु पटना नगर निगम को सेवा सुपुर्द
10.	श्री निरंजन कुमार सिन्हा	नवादा	वा०-कर उपायुक्त सम्प्रत्ति, वित्त एवं लेखा नियंत्रक, दरभंगा नगर निगम	वा0—कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
11.	श्री अच्छेलाल प्रसाद	सिवान	वा०-कर उपायुक्त (प्रभारी) मुजफ्फरपुर, पश्चिमी अंचल	वा०-कर उपायुक्त (प्रभारी) मध्य अंचल,पटना
12.	श्री शिवेन कुमार	चतरा	वा०-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल	वा०-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना
13.	अशोक कुमार यादव	कटिहार	वा०-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	वा०-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पूर्वी प्रमंडल
14.	श्री ध्रुव नारायण साहू	स्हरसा	वा०-कर उपायुक्त, अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	वा०-कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय पटना

2. क्रम संख्या—01 से 05 तक अंकित पदाधिकारी को नवप्रोन्नति के उपरांत पदस्थापित किया जाता है।

3. क्रम संख्या—10 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। अतएव स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

4. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिनों के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप—सचिव।

निर्वाचन विभाग

————————

अधिसूचना

9 जुलाई 2018

सं0 ई2–2–005/2017–45–बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 240 एवं 248 के तहत श्रीमती रंजू कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर अनुमंडल, मुजफ्फरपुर को स्वयं के विवाह के निमित्त दिनांक 22.11.2017 से दिनांक 16.12.2017 तक कुल 25 (पचीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 17.12.2017 को रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नवल किशोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी–सह– सहायक सचिव।

————————

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

————————

अधिसूचना

17 मई 2018

सं0 1/स्था01–03/2016/628–बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 04.05.2018 से आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्री अरविन्द कुमार तिवारी, कनीय अभियंता, पुरातत्व निदेशालय, बिहार, पटना को सहायक अभियंता, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के रिक्त पद पर वेतन बैंड 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4800 में योगदान की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
मीना कुमारी, उप–सचिव।

————————

ऊर्जा विभाग

————————

अधिसूचना

29 जून 2018

सं0 प्र02/BSPHCL विविध–29/2013(खंड) 06––सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–7120 दिनांक 30.05.2018 द्वारा मो0 अजाजुद्दीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान की सेवाएँ बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना के अधीन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायाधीश, विद्युत के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऊर्जा विभाग को अगले आदेश तक सौंपी गई है।

विद्युत अधीनियम, 2003 की धारा–135–141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अधीन तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फपुर के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) के अधीन गठित विशेष

न्यायालय में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (2) के अधीन मो0 अजाजुद्दीन को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, विशेष न्यायाधीश, विद्युत नियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, **संयुक्त सचिव।**

———————

GOVERNOR SECRETARIAT, BIHAR
Raj Bhavan, Patna-8000022

Letter No. PU-(Statute)-34/2017- 1417 /GS(I), Dated 24.05.2018

From

P.C. Choudhary,
Officer on Special Duty (Judl.)

To,

The Vice Chancellor,
All the Universities of Bihar.
(Except RAU, Pusa, BAU, Sabour &
Bihar Animal Science University, Patna)

Sub: - Regarding implementation of the Statute for appointment of the teachers in the Faculty of Law in the Universities of Bihar.

Sir,

I am directed to invite a reference to the subject noted above and to inform that the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the Draft Statute submitted by the Registrar, Patna University, Patna and on the recommendation of the three Vice Chancellors' Committee, has been pleased to approve the Statute for appointment of the teachers in the Faculty of Law in the Universities of Bihar (Copy enclosed.) in exercise of the powers vested in him U/S 36(7) of the Bihar State Universities Act, 1976 and Patna University Act 1976 as amended upto date by repealing earlier provisions in this regard.

Yours faithfully,
P.C. Choudhary, Officer on Special Duty
(Judl.)

(Statute)

Statute for prescribing qualification and procedure for selection of teachers in Law for the Universities of Bihar imparting Law Education.

Whereas the Patna High Court has issued direction to recast the statute prescribing qualification and procedure for appointment of Law teachers the statute is provided as follows:

1. Short title and extent:

1.1. This statute may be called statute for prescribing qualification and procedure for selection of teachers in Law for the universities of Bihar imparting Law Education.

1.2. It applies on all future appointments of teachers in Law subject under Bihar State Universities Act and Patna University Act

2. Interpretation:

Unless the context otherwise requires

2.1. 'Act' means the Bihar State Universities Act/ Patna University Act, 1976 as Amended up to date

2.2. 'Teacher' means University Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Principal

2.3. 'Part Time Teacher' means a teaching faculty at a centre of Law Education/ University Law department who has been appointed so only for a specific short period and not against regular post/ vacancy

2.4. 'Statute' means statute so named in point no. 1 of this statute

2.5 University means universities governed by the Bihar State Universities Act and Patna University Act Amended up to date

3. Selection Committee:

The Selection Committee as constituted under relevant sections of the Acts shall be made in respect of teachers in Law i.e. Professor, Associate Professor, Principal, Assistant Professor and Assistant Professor Part Time. The post of teachers and part time teachers shall be filled up by open advertisement on all India basis

4. Minimum qualification and pay scale for different categories of posts of teachers:

4.1. University Professor:

For direct appointment as university professor in Law the following qualification shall be essential:-

i-An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality and actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers.

ii-A minimum of fifteen years of teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions including experience of guiding candidates for research at doctoral level in Law.

iii-Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology based teaching learning processes.

iv-A minimum score as stipulated in the Academic Performance Index (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in UGC Regulations on Minimum Qualifications for appointment of teachers and other academic staff and measures for the maintenance of standards in higher education, 2010.

Or

The minimum qualification required for the post of university professor shall be those as already prescribed in the relevant statute/ qualification prescribed by the state government and the University Grants Commission for Law and/ or by the Bar Council of India (BCI for short).

No experience of part time teaching shall be counted for appointment of University Professor at centre of Law Education

4.2. Principal at a Law College:

4.2.1. Principal in Professor Grade:

i- A Master's Degree in Law with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

ii- An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality and proof of actively engaged in research.

iii- A candidate must have 15 years teaching experience as professor/ associate professor/ assistant professor at the University/ College/ National level institutions including experience of guiding candidates for research at doctoral level in Law

iv- A minimum score as stipulated for university professor in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in UGC Regulations on Minimum Qualifications for appointment of teachers and other academic staff and measures for the maintenance of standards in higher education.

v- No experience of part time teaching shall be counted for appointment of Principal at centre of Law Education

4.2.2. Principal in Associate Professor Grade:

i- A Master's Degree in Law with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.

ii- An eminent scholar with Ph.D. qualification(s) in the concerned/allied/relevant discipline and published work of high quality and actively engaged in research.

iii- A candidate must have 10 years teaching experience as associate professor/ assistant professor at the University/ College/ National level institutions including experience of guiding candidates for research at doctoral level in Law

iv- A minimum score as stipulated for associate professor in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in UGC Regulations on Minimum Qualifications for appointment of teachers and other academic staff and measures for the maintenance of standards in higher education.

v- No experience of part time teaching shall be counted for appointment of Principal at centre of Law Education

4.3. Associate Professor in Law:

i-Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.

ii. A Master's Degree in Law with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.

iii-A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution – in Law excluding the period of Ph.D. research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.

iv- Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology – based teaching learning processes with evidence of having guided doctoral candidates and research students in Law.

v- A minimum score set for associate professor as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in UGC Regulations for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education.

Or

The minimum qualification required for the post of Associate Professor shall be those as already prescribed in the relevant statute/ qualification prescribed by the state government and the University Grants Commission for Law or by BCI.

No experience of part time teaching shall be counted for appointment of Associate Professor at centre of Law Education.

4.4. Assistant Professor in Law:

i-Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, at the Master's Degree level in Law from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii-Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET. However, candidates, who are, or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/ Institutions.

4.5. Assistant Professor Part Time in Law:

i-Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, at the Bachelor Degree level in Law from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides this:-

Senior Advocates (designated or non-designated) practicing in District Courts & High Courts having at least 15 years of professional experience & intending to offer lectures in centres of Law institutions are eligible to apply as a part time Lecturer/Assistant Professor (Part time)

Or

Has worked as judicial magistrate/ judge for ten years,

Or

Has taught at least ten years at any judicial academy,

Or

Has completed the post-graduation in Law as per UGC norms with 55% marks.

Fixed Emoluments: Rs.1000/- per class or a maximum of Rs.25,000/- pm. No other benefits shall be provided to a part time Lecturer/ Assistant Professor .

5. Teacher student ratio:

As per BCI norms there should be 8 full time teachers apart from Principal and Dean on 120 intake in three years Law course. Where there is five year double degree Law course minimum 10 Law teachers apart from other subject teachers are needed. In the similar manner teachers will be higher in number where intake of students are more. In professional courses ratio of 1:20 is maintained but in Law it is 1:40. So rest teachers may be from bar or bench in the form of adhoc or part time teachers.

6. Merit list and reservation:

The selection committee shall on the basis of career and interview; recommend a panel of names in order of merit for appointment against substantive vacancies notified by the university and such panel shall remain valid for a period of one year from the date of recommendation. Merit list shall consist of twice the number of vacancies but the selection committee shall recommend, in order of merit, only one name at the time of appointment against one vacancy.

Provided that the recommendation of the selection committee is in consonance with the reservation roster of the state government.

7. Quorum for the meeting of the Selection Committee:

Quorum for the meeting of the Selection Committee shall be 5 (five) in which presence of at least 2 (two) experts shall be necessary.

8. Appointment:

8.1. The appointment of regular teachers shall be in accordance with relevant Acts and Statutes (Bihar University Act & Patna University Act 1976 as amended up-to-date).

9.Appointment of Part Time Teacher

The appointment shall be made by the Selection Committee constituted as per Bihar University Act & Patna University Act 1976 as amended up-to-date.

9.1 The Vice- Chancellor shall be the chairperson of the Selection Committee for part-time Assistant Professor.

9.2 Composition of selection committee for the appointment of Part time Lecturer/ Assistant Professor.

The Selection Committee as constituted under relevant sections of the Acts shall be made in respect of teachers in Law i.e. University Professor, Associate Professor, Principal, Assistant Professor and Assistant Professor Part Time shall consist of-

(i) The Vice Chancellor (Chairperson)

(ii) One member to be nominated by the Chancellor

(iii) One member to be nominated by the Government

(iv) Three experts (not below the rank of university professor) not connected with the University to be nominated by the Vice Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the academic council for each post out of which at least one member should belong to scheduled castes/scheduled tribes and two shall be from the outside the state (where there is no member from the scheduled caste/scheduled tribes, women shall be nominated)

(v)The Head of the discipline (subject) concerned will not be below the rank of university professor

Provided that if the Head of the Department of the discipline concerned is not available in the rank of university professor, then the Vice Chancellor shall nominate Head of the Department of the discipline (subject) concerned of any other university not below the rank of university professor.

10 Weightage based on the marks obtained in various examination as per norms decided by the BPSC for the appointment of Assistant Professor

10.1 For both regular and part time assistant professor, the selection committee shall divide the marks on career and interview in the ratio 85%:15% in the following way:

Weightage for Career

Marks for the Examination at Matric Level

Sl. No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.50 and above	75 and above	10.0
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6

14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

Weightage for Career

Marks for the Examination at Inter Level

Sl. No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.50 and above	75 and above	10.0
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4

10	**4.60**	**66**	**8.2**
11	**4.50**	**65**	**8.0**
12	**4.40**	**64**	**7.8**
13	**4.30**	**63**	**7.6**
14	**4.20**	**62**	**7.4**
15	**4.10**	**61**	**7.2**
16	**4.00**	**60**	**7.0**
17	**3.90**	**59**	**6.8**
18	**3.80**	**58**	**6.6**
19	**3.70**	**57**	**6.4**
20	**3.60**	**56**	**6.2**
21	**3.50**	**55**	**6.0**
22	**3.40**	**54**	**5.8**
23	**3.30**	**53**	**5.6**
24	**3.20**	**52**	**5.4**
25	**3.10**	**51**	**5.2**
26	**3.00**	**50**	**5.0**
27	**2.90**	**49**	**4.8**
28	**2.80**	**48**	**4.6**
29	**2.70**	**47**	**4.4**
30	**2.60**	**46**	**4.2**
31	**2.50**	**45**	**4.0**
32	**2.40**	**44**	**3.8**
33	**2.30**	**43**	**3.6**
34	**2.20**	**42**	**3.4**
35	**2.10**	**41**	**3.2**
36	**2.00**	**40**	**3.0**
37	**1.90**	**39**	**2.8**
38	**1.80**	**38**	**2.6**
39	**1.70**	**37**	**2.4**
40	**1.60**	**36**	**2.2**
41	**1.50**	**35**	**2.0**

Weightage for Career

Marks for the Examination at Graduation (Honours) Level

Sl. No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	**5.50 and above**	**75 and above**	**25.0**
2	**5.40**	**74**	**24.5**
3	**5.30**	**73**	**24.0**
4	**5.20**	**72**	**23.5**
5	**5.10**	**71**	**23.0**
6	**5.00**	**70**	**22.5**
7	**4.90**	**69**	**22.0**

8	4.80	68	21.5
9	4.70	67	21.0
10	4.60	66	20.5
11	4.50	65	20.0
12	4.40	64	19.5
13	4.30	63	19.0
14	4.20	62	18.5
15	4.10	61	18.0
16	4.00	60	17.5
17	3.90	59	17.0
18	3.80	58	16.5
19	3.70	57	16.0
20	3.60	56	15.5
21	3.50	55	15.0
22	3.40	54	14.5
23	3.30	53	14.0
24	3.20	52	13.5
25	3.10	51	13.0
26	3.00	50	12.5
27	2.90	49	12.0
28	2.80	48	11.5
29	2.70	47	11.0
30	2.60	46	10.5
31	2.50	45	10.0

Weightage for Career

Marks for the Examination at Posts-graduate Level

Sl. No.	Grade Points	Percentage Equivalent	Marks
1	5.50 and above	75 and above	30.00
2	5.40	74	29.25
3	5.30	73	28.50
4	5.20	72	27.75
5	5.10	71	27.00
6	5.00	70	26.25
7	4.90	69	25.50
8	4.80	68	24.75
9	4.70	67	24.00
10	4.60	66	23.25
11	4.50	65	22.00
12	4.40	64	21.75
13	4.30	63	21.00
14	4.20	62	20.25

15	**4.10**	**61**	**19.50**
16	**4.00**	**60**	**18.75**
17	**3.90**	**59**	**18.00**
18	**3.80**	**58**	**17.25**
19	**3.70**	**57**	**16.50**
20	**3.60**	**56**	**15.75**
21	**3.50**	**55**	**15.00**

Weightage for Career

Marks for Ph.D. or M.Phil.

Sl. No.	Grade Points	Marks
1	**Ph.D. as per UGC Regulations 2009 and with NET**	**10.00**
	Ph.D. as per UGC Regulations 2009 and without NET	**7.00**
2	**Ph.D. not as per UGC Regulations 2009 and with NET**	**5.00**
3	**M.Phil. as per UGC Regulations 2009 and with NET**	**4.00**
4	**M.Phil. not as per UGC Regulations 2009 and with NET**	**2.00**

Note: Ph.D. or M.Phil. in the subject concerned for the selection of the candidate will only be considered.

11. Savings: Any dispute on any clause of this Statutes will be settled by the Office of the Chancellor.

Prof. A. K. Roy	Prof. S.K. Singh	Prof. Rash Bihari Pd. Singh
Vice Chancellor	Vice Chancellor	Vice Chancellor
B.N.M.U., Madhepura	L.N.M.U., Darbanga	Patna University, Patna

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17–571+25-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 946---I, Ajit Kumar Singh S/O Umesh Prasad R/O Shitalgarh P.O- Pandooi, P.S- Parasbigaha, Distt.-Jehanabad- 804433 declare vide Affd no-9738 dated 12th June 2018 have changed my name to Ajit Kumar.

Ajit Kumar Singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17–571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 एल/एच०जी०–14–03/2018– **6190**

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

संकल्प

6 जुलाई 2018

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि **श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर** के विरूद्ध गृह रक्षकों के कर्त्तव्य वितरण में गृह रक्षक 140338 मोहन सिंह के माध्यम से अवैध वसूली से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र–क में विभाग को प्रतिवेदित हुआ है (यथा–अनुलग्नक **प्रपत्र–'क'** में वर्णित)।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि **श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर** के विरूद्ध गठित आरोप **प्रपत्र–'क'** की **वृहद् जाँच** हेतु **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के** तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस हेतु **संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना** को **संचालन पदाधिकारी** नियुक्त किया जाता है एवं **उपस्थापन पदाधिकारी** नामित करने हेतु **महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना** को निदेशित किया जाता है।

3. श्री मो० शरफुद्दीन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

सं0 6/आ0–376/2006(खण्ड)सा0प्र0–8639

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जून 2018

निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो), बिहार के पत्रांक–2756/अप.शा. दिनांक 06.12.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013–14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृति भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में भ्रष्टाचार अधिनियम–1988 की धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(सी) (डी) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या–127/16, दिनांक 29.11.16 दर्ज किया गया है जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है।

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं श्री राजू के कर्त्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं

अपील) नियमावली–1969 के नियम–3 के उपनियम–3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से आदेश संख्या–336 दिनांक 12.01.2017 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–3(8) के अधीन श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991) के निलम्बन की समीक्षा राज्य निलंबन समीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर की गयी है एवं पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित आलोच्य निगरानी वाद की गंभीरता एवं भ्रष्टाचार के आरोप को दृष्टिगत करते हुए श्री राजू के निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है। राज्य निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा पुनः श्री राजू के निलम्बन की समीक्षा दिनांक 19.06.2018 को की गयी। पूरे मामले की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित आलोच्य निगरानी वाद की गंभीरता एवं भ्रष्टाचार के आरोप को देखते हुए श्री राजू के निलम्बन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

4. दिनांक 19.06.2018 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(बिहारः 1991) के निलंबन को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

———————

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

आदेश

26 जून 2018

सं0 6/आ.–81/2015–सा.प्र.–8476–श्री शशिकांत तिवारी, भा.प्र.से. (बिहारः2006), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, जमुई सम्प्रति अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बिना विज्ञापन एवं स्वीकृत पद के विरूद्ध नियुक्ति का दबाव डाले जाने एवं तदर्थ शिक्षक के पद पर सगे पुत्र की नियुक्ति कराये जाने के आरोप के मामले में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या–6565 दिनांक 01.06.2017 निर्गत करते हुए श्री तिवारी से बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। श्री तिवारी के दिनांक 02.06.2017 के लिखित बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री तिवारी के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 (6) (a) के अंतर्गत श्री तिवारी के विरूद्ध गठित आरोप की जाँच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार, विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 13263 दिनांक 17.10.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. उक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी– विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा आरोपों की जाँच पुरी कर उनके पत्रांक–169 दिनांक 20.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–9 (2) के अधीन आरोपित पदाधिकारी –श्री तिवारी से लिखित बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन में श्री नंदकिशोर हांसदा की दरबान के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया और शेष आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। श्री तिवारी से प्राप्त दिनांक 16.03.2018 के लिखित बचाव बयान पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया। श्री शशिकांत तिवारी सम्प्रति सेवानिवृत हो चुके है। अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 के नियम–6 के तहत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गम्भीर कदाचार अथवा राज्य सरकार को अर्थिक हानि पहुँचाये जाने वाले आरोप के पाये जाने पर ही पेंशन कटौती का दण्ड दिया जा सकता है। चूंकि श्री हांसदा आरोपित पदाधिकारी के सगे–संबंधी नहीं थे और यह इतनी गम्भीर बात नहीं है जिसपर दण्ड दिया जा सके। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत आरोपित पदाधिकारी के दिनांक 16.03.2018 के बचाव बयान को स्वीकार करते हुए आरोप के इस मामले को

बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशिकांत तिवारी, भा.प्र.से.(बिहार : 2006 सम्प्रति 2005), के इस प्रासंगिक आरोप के मामले को बंद किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

———

सं0 यो04/LWE-2/2018––**3291**/यो0वि0

योजना एवं विकास विभाग

———

संकल्प

6 जुलाई 2018

विषयः–अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने तथा इस योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 163.32 करोड़ (एक अरब तिरसठ करोड़ बत्तीस लाख) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 में 133.32 करोड़ (एक अरब तैतीस करोड़ बत्तीस लाख) रूपये कुल 296.64 करोड़ (दो अरब छियानवे करोड़ चौसठ लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति।

अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–18015/38/2017–LWE-I दिनांक–04.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बिहार राज्य के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, एवं बॉका जिलों को तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–18015/38/2017–LWE-I दिनांक–08.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिलों को शामिल किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत जनआधारभूत संरचना एवं सेवाओं के क्षेत्र में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

2. इस योजना अंतर्गत आच्छादित जिलों यथा–औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, एवं बांका को 3 वर्षों 2017–18 से 2019–20 तक प्रति जिला 28.57 करोड़ (अठाईस करोड़ सत्तावन लाख) रूपया उपलब्ध कराने की सूचना गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दी गई थी। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–18015/03/2018–LWE-I दिनांक–20.02.2018 द्वारा 5 (पाँच) करोड़ रूपया प्रति जिला की दर से 6 जिलों के लिए कुल 30.00(तीस) करोड़ रूपया विमुक्त किया गया है।

3. गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–18015/38/2017–LWE-I दिनांक– 08.05.2018 द्वारा इस कार्यक्रम की संशोधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत आच्छादित राज्य के चार जिलों यथा–औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को 33.33 करोड (तैतीस करोड़ तैतीस लाख) रूपये दो किस्तों में [20.00 (बीस) करोड़ रूपये एवं 13.33 करोड़(तेरह करोड़ तैतीस लाख) रूपये] निर्धारित शर्त्त के अनुसार उपलब्ध कराने की सूचना दी गई है।

4 गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय (पुलिस अधीक्षक एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी) जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है जो जिला के आवश्यकताओं के आधार पर Security, Development Ensuring rights & Entitilements of tribals/Local Communities and Perception Management से संबंधित परियोजनाओं/कार्यों का चयन/अनुमोदन एवं राशि व्यय करेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय (प्रधान सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना) समिति का गठन अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु किया गया है।

6. इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से राशि संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी को आवंटित की जाएगी। संबंधित जिला पदाधिकारी कोषागार से एकमुश्त राशि की निकासी कर राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पदनाम से बचत खाता खोलकर उस राशि को रखेंगे। जिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि के लिए खाता संधारण हेतु

जिम्मेवार होंगे एवं उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित कार्यकारी एंजेसी द्वारा आवंटित राशि के लिए अलग से खाता संधारण किया जाय।

7. जिलों को आवंटित राशि के विरूद्ध अर्जित सूद की राशि परियोजना/कार्यों पर व्यय नहीं कर राशि को भारत सरकार के संचित निधि GFR230(8) के तहत जमा किया जाएगा।

8. जिलों को आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा।

9. प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर संबंधित जिलों के द्वारा नियमित भौतिक एवं वित्तीय अंकेक्षण कराया जाएगा।

10. जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकारी एजेंसी के द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भुगतान हेतु राशि की निकासी राज्य के वित्तीय नियमावली एवं योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुरूप किया जाएगा।

11. अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 163.32 करोड़ (एक अरब तिरसठ करोड़ बत्तीस लाख) रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 133.32 करोड़ (एक अरब तैतीस करोड़ बत्तीस लाख) रूपये कुल 296.64 करोड़ (दो अरब छियानवे करोड़ चौसठ लाख) रूपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

12. इस कार्यक्रम के तहत राशि मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष 102–सामुदायिक विकास, उपशीर्ष– 0203–एल0डब्लु0ई0 जिलों के लिए ए0सी0ए0 विपत्र कोड 35–4515001020203 से विकलनीय होगी।

13. इस कार्यक्रम के तहत निर्गत मार्गदर्शिका में ली जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निदेश अंकित नहीं होने के फलस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शक्ति निम्न प्रकार से प्रत्यायोयाजित की जाती हैः–

प्रमंडलीय आयुक्त	प्रशासनिक स्वीकृति	50 (पचास) लाख से 10 (दस)करोड़ रू0 तक
जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति	50 (पचास) लाख रू0 तक
अधीक्षण अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 (पचास) लाख से 10 (दस)करोड़ रू0 तक
कार्यपालक अभियंता	तकनीकी स्वीकृति	50 (पचास) लाख रू0 तक

14. इसमें दिनांक 26.06.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेश्वर प्रसाद सिंह, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17–571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in